भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4231

उत्तर देने की तारीख- 27/03/2023

जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु योजनाएं

4231. श्री संजय सेठ:
श्री दुर्गा दास उइकेः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार/नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के नाम/प्रकार और उनका ब्यौरा क्या है;
(ख) इनमें से झारखंड के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए नीति आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;
(घ) मंत्रालय द्वारा जनजातीय समुदाय के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं; और
(ङ) झारखंड के लिए इनमें से कितनी योजनाएं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) से (ग): सरकार अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक रणनीति (कार्यनीति) के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को कार्यान्वित कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग प्रत्येक वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास, आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए आवंटित कर रहे हैं। जनजातीय आवास वाले क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचना के विकास से संबंधित योजनाएं स्थानीय निवेश उत्पन्न करती हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के डीएपीएसटी अनुदान के तहत योजनाओं को जनजातीय आवासों (बस्तियों) में और जनजातीय समुदायों के लिए विकास प्राप्त करने हेतु कार्यान्वित किया जाता है।

(घ) से (ङ): जनजातीय कार्य मंत्रालय झारखंड सहित देश में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है।

(i) प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)

(ii) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान

(iii) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास

(iv) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

(v) अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

(vi) अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(vii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियां

(viii) अनुसूचित छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति- (उच्च श्रेणी) योजना [स्नातक स्तर]
(ख) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

(ix) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

(x) प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)

(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता

(xii) जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा

*****